भारतीय स्टेट बैंक

	फोलियों क्र.:		
	डी.पी./ग्राहक आई. डी. क्र		
मैं / हम ,			
	निवासी		
बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शेयरधारकों के रजिस्टर	में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के		
शेयर / शेयरों का धारक हूँ / शेयरों के धारक हैं और प	रतद्द्वारा		
	निवासी	को	(या उसकी
अनुपस्थिति में	निवासी		को)
भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की	में दिनांक		
को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली स प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।		तरफ से मत दे	ने हेतु अपने
दिनांकित	के		_दिवस को
		15 पैसे	
		रसीदी	
		टिकट	

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रिजस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो, तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसका कोई चिह्न है जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्राक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक / स्थानीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्यतारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पिल्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, केन्द्रीय कार्यालय में या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा। (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बाण्ड विभाग, केंन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 को प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।



STATE BANK OF INDIA

PROXY FORM

Folio No:

	1 0110 1 10	
	DP/Client-ID	No
I/We		
-,		
(No.)	being(a) shareholder(s) c shares on the Register of sh	nareholders at the Central Office
resident of	_ (or failing him/her	resident of
meeting of the shareholder) as my/our proxy to vote for me s of the State Bank of India to be held day of	at
at any adjournment thereof		anc
Dated this	day of	
		15 paise Revenue Stamp

No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholders first named in the Register or his attorney duly authorised in writing, or in the case of a Company, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted Officer or an Officer of the State Bank of India.

A proxy, unless appointed by a Company, should be a Director of the Central Board/Member of the Local Board/Shareholder of the State Bank of India, other than an officer or employee of the State Bank of India.

No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power of attorney or authority certified by a Notary Public or a Magistrate, is deposited with the Central Office or other office designated from time to time by the Chairman or Managing Director in this behalf, not less than 7 clear days before the date fixed for the meeting. (In case a power of attorney is already registered with the Bank, the Folio No. and Registration No. of the power of attorney be also mentioned).

State Bank of India, Shares & Bonds Dept., Central Office, State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021 is authorised to accept the proxy form, power of attorney or other authority.

भारतीय स्टेट बैंक

शेयरधारकों की महासभा उपस्थिति पर्ची

दिनांक:							
फोलियो क्र:							
डी.पी / ग्राहक आई. डी. क्रः							
शेयरधारक का पूरा नाम :	_ह अनुर	नार)					
पंजीकृत पताः							
							पिन
कुल धारित शेयरों की संख्या :							
शेयर प्रमाणपत्र क्रमांक, मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में :					ŧ	ì	तक
क्या विनियम 31* के अनुसार मत देने का अधिव यदि हाँ, तो मतों की संख्या जिनके लिए वह अधि				मतव	: शन व	क्रे मा	गमले में) :
शेयरधारक के तौर पर व्यक्तिगत रूप से							7
प्रॉक्सी के रूप में							
विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में							
योग							_
	•						_
हस्ताक्षर अनुप्रमाणित							(शेयरधारक के हस्ताक्षर)
नाम:							
पदनाम:							
सील / मोहर:							

- भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों/प्रभाग प्रबंधकों को (जिनके हस्ताक्षर सर्कुलेट किए गए हैं), उस शाखा में खाता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा शेयरधारक होने का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, उनके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- यदि शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक का खाताधारी है, तो उसके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन उस बैंक के शाखा प्रबंधक शाखा की ii) मोहर/स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित कर सकते हैं।
- iii) वैकल्पिक रूप में, शेयरधारक अपने हस्ताक्षर नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाएं।
- iv) शेयरधारकों के हस्ताक्षर सभास्थल पर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट अधिकारियों से भी अनुप्रमाणित करवाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का कोई संतोषप्रद प्रमाण जैसे - पासपोर्ट, फोटो वाला ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान कार्ड या इसी प्रकार का अन्य कोई स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

* विनियम 31: मताधिकार का निर्धारण

- अधिनियम की धारा 11 में समाविष्ट प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो किसी महासभा की तिथि से तीन माह पूर्व की न्यूनतम अवधि के लिये एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत रहा है। को ऐसी सभा में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार हैं।
- केंद्रीय सरकार को छोड़कर, प्रत्येक शेयरधारक जिसे उपरोक्तानुसार मतदान का अधिकार है और जो कम्पनी न होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता है अथवा एक कम्पनी होने की दशा में किसी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होता हैं, को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक मत और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में उसके द्वारा धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार होगा।
- iii) केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिक्त प्राधिकृत व्यक्ति को हाथ उठाकर मतदान के मामले में एक और मतपत्र द्वारा मतदान के मामले में उस सभा की तिथि से पूर्व की तीन माह की सम्पूर्ण अवधि में धारित प्रत्येक पचास शेयरों के लिये एक मत देने का अधिकार होगा।



STATE BANK OF INDIA

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ATTENDANCE SLIP

Date: DDMMYYYY				
olio No:				
PP/Client-ID No.:				
ull Name of the Shareholder :				
as appearing on share certificate/recorded with DP)				
legistered address:				
PIN PIN				
otal number of Shares held :				
hare Certificate Nos., n case of physical holding) From To				
Whether having voting rights in terms of Regulation 31* Yes / No If yes number of votes to which he/she is entitled, in case of Poll by ballot.				
In person as a shareholder				
As a proxy				
As a duly authorised representative				
TOTAL				
ignature Attested (Signature of Shareholder)				
Jame:				
Designation:				
eal/Stamp:				

Note:

- i) The Branch Managers/Managers of Divisions of the branches of the State Bank of India (whose signatures are circulated) are authorised to attest the signature of the shareholders, on production of suitable evidence of his/her shareholding to the branch where the shareholders may be maintaining account.
- ii) If the shareholder maintains account with a bank other than State Bank of India, the signature may be attested by the Branch Manager of that Bank, affixing the branch seal/stamp to evidence the attestation.
- iii) Alternatively, the shareholder may have his/her signature attested by a Notary or a first class Magistrate.
- iv) The signature of shareholders can also be got attested at the venue of the Meeting by the designated officers of the State Bank of India, on production of satisfactory evidence of his/her identification such as Passport/Driving Licence with photograph, Voters Identity Card or such other similar acceptable evidence.

* Regulation 31 - Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in section 11 of the Act, each shareholder who has been registered as a Shareholder for a period of not less than three months prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it.
- ii) Every shareholder, other than the Central Government, entitled to vote as a foresaid who, not being a company is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative or by proxy, shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting.
- iii) The duly authorized person representing the Central Government shall have one vote on a show of hands and, in case of a poll, shall have one vote for each fifty shares held by it for the whole period of three months prior to the date of such meeting.

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) निर्देश फॉर्म

बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट को भेजा जाए (क्रेडिट क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से लाभांश का भुगतान प्राप्त करने संबंधी विकल्प देने के लिए निवेशकों हेतु फार्म)

1.	निवे	त्रेशक का नाम :	
	पता	· :	
	टेलि	नफोन/मोबाइल नंबर :	
2.	लैज	ार फोलियो संख्या :	
3.	बैंक	ह खाते का विवरण	
	क.	बैंक का नाम :	
	ख.	शाखा का नाम :	
	ग.	बैंक द्वारा जारी एमआइसीआर चेक में प्रदर्शित बैंक और शाखा का 9-अंकों का कोड नंबर :	
	घ.	खाते का प्रकार (बचत बैंक, चालू या कैश क्रेडिट) कोड सहित	(10/11/13)
	ङ.	खाता संख्या (जैसे चेक बुक पर प्रदर्शित है)	
		ग्रान दें : उपर्युक्त विवरणों का सत्यापन करने हेतु कृपया एव ह की फोटोकॉपी या बचत बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की	
होता	है या	करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और पूर्ण है. यदि अपूर्ण या ग ा पूरा नहीं हो पाता है तो मैं भारतीय स्टेट बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ट अपने दायित्व को निभाने के लिए मैं सहमत हूँ.	
दिन	iक :		()
स्था	₹:		प्रथम/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कृपया नोट करें कि:

एनईसीएस सुविधा प्राप्त करने के लिए कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास कोर बैंक खाता संख्या और अपने बैंक / अपनी शाखा का 9 अंकों वाला एमआईसीआर कोड अद्यतन करें

National Electronic Clearing Service (NECS) Mandate Form

To be sent to the Registrar & Transfer Agents of the Bank (Investor's option to receive dividend payment through Credit Clearing Mechanism)

1.	Inv	Investor's name :						
	Ado	dress:						
	Tele	ephone / Mobile No. :						
2.	Led	ger folio number :						
3.	Par	ticulars of Bank account						
	A.	Name of the Bank :						
	В.	Name of the Branch :						
	С.	9-Digit code number of the bank and branch as appearing on the MICR cheque issued by the bank :						
	D.	Type of the account (S.B., Current or Cash Credit) with code (10/11/13)						
	E.	Account number (as appearing on the cheque book)						
	•	P: Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque or front page of ir savings bank passbook issued by your bank for verification of the above particulars)						
or r of li	ot e	declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayer of the formal responsible. I agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the transaction of the complete or incorrect information, I would not hold State Bar responsible. I agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the complete of the complete or incorrect and complete. If the transaction is delayer of the complete or incorrect and complete. If the transaction is delayer of the complete or incorrect and complete. If the transaction is delayer of the complete or incorrect information, I would not hold State Bar responsible. I agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the complete or incorrect information, I would not hold State Bar responsible.	٦k					
Date	e :	()						
Plac	e:	Signature of the first / sole Holde	r					

Shareholder(s) holding shares in Electronic Form may please note that:-

To avail the NECS facility, please update Core Bank account number and 9 digits MICR Code of your Bank/branch with your Depository Participant (DP).

शेयरधारकों से एक अनुरोध कारपोरेट गवर्नेंस में ग्रीन पहल: इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट

कारपोरेट गवर्नेंस में ग्रीन पहल के एक भाग के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक अपने शेयर धारकों को उनके संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) खातों में या रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट के पास पंजीकृत उनके ई-मेल पतों पर इलेक्ट्रानिक स्वरूप में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु उन्हें एक विकल्प देना चाहता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस महान पहल में हमें अपना सहयोग दें और इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सहमति प्रदान करें।

आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए प्ररूप में अपनी सहमित सीधे हमारे रिजस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट (आरटीए), मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंसियल सर्विसेस लि., यूनिट: भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी-5, एमआईडीसी, पार्ट बी, क्रास लेन, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093, टेली. नं. 022-66712198/2201-2203 को भेज दें या sbigreenar@dfssl.com पर ई-मेल के द्वारा सूचित कर दें। कागजी स्वरूप में शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक अपना ई-मेल पता तुरंत आरटीए को सूचित कर दें तथा डिमेट स्वरूप में शेयरधारिता रखने वाले शेयर धारक डीपी (एनएसडीएल या सीडीएसएल) के पास पंजीकृत अपने ई-मेल पते को अद्यतन कर लें।

प्रिय महोदय,			
भारतीय स्टेट बैंक: इलेक्ट्रानिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए शेयरधारक की सहमति			
मैं एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित मेरे ई-मेल पते पर बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को वित्त वर्ष 2012-13 से और उसके बाद इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्राप्त करने			
के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।			
नाम:	ई-मेल पता:		
डीपीआईडी और ग्राहक आईडी / फोलियो नंबर			
स्थान :	(हस्ताक्षर)		
दिनांक:	शेयरधारक का नाम एवं पता		

हम यह भी सूचित करते हैं कि बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके तुरंत संदर्भ के लिए बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in और www.statebankofindia.com पर कारपोरेट गवर्नेंस लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध रहेगी । बैंक के शेयरधारक हमेशा बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की एक मुद्रित प्रति नि:शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं। हम अपने शेयरधारकों से यह अपील करते हैं कि वे वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्टानिक स्वरूप में प्राप्त करने का विकल्प अपनाएं।

KIND ATTENTION OF SHAREHOLDERS

Green Initiative in Corporate Governance: Annual Report in Electronic Form

As a part of the 'Green initiative in the Corporate Governance', State Bank of India proposes to give an option to our shareholders to receive the Bank's Annual Report in electronic form at their e-mail addresses registered with their respective Depository Participant (DP) accounts or with Registrar & Transfer Agent. We request you to join us in this noble initiative and look forward to your consent to receive the annual report in electronic form.

You are requested to send your consent in the format, given below directly to our RTA, Datamatics Financial Services Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, MIDC, Part B, Cross Lane, Marol, Andheri (E), Mumbai-400 093. Tel. Nos 022-66712198/2201-2203. or through e-mail to **sbigreenar@dfssl.com**. Shareholders holding their shares in physical form may promptly advise their e-mail address to RTA, while as the shareholders holding shares in Demat form may update their e-mail address with the DP (NSDL or CDSL).

Dear Sir,				
State Bank of India: Consent of shareholder to receive Annual Report in Electronic Form				
I hereby give my consent to receive the Bank's Annual Report from the FY 2012-13 onwards in electronic form a my undernoted e-mail address.				
Name:	E-mail address			
DP ID & Client ID/ Folio no				
Place	(Signature)			
Date	Name & address of shareholder.			

Please be informed that the Annual Report will also be available on the Bank's website www.sbi.co.in & www.statebankofindia.com under link "Corporate Governance", for your ready reference. The shareholders of the Bank are always entitled to receive, free of cost, a printed copy of the Annual Report of the Bank.

We appeal to our shareholders to opt for receiving Annual Report in electronic form.

शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु कागज़ रूप में शेयरधारिता

आपके पास कागज़ रूप में रखे हुए शेयरों को आसानी से कागज़ रहित (डीमैटीरियलाइज) रूप में रखा जा सकता है अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शेयरों को कागज़ रहित रूप में रखने (डीमैटीरियलाइजेशन) से आपको निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:-

- 1. प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण;
- 2. प्रतिभृतियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं;
- 3. कागज़ के प्रमाणपत्रों के रूप में रखने के अनेक जोखिम भी होते हैं जैसे गलत हाथों लग जाना, जाली प्रतिभृतियाँ आदि से छुटकारा;
- 4. प्रतिभृतियों के हस्तांतरण में होनेवाली कागज़ी कार्रवाई में कमी;
- 5. लेनदेन की लागत में कमी;
- 6. नामांकन सुविधा;
- 7. डीपी में अभिलिखित पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों में पते का परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो जाता है जिन कंपनियों के शेयर शेयरधारक के पास हैं और इस प्रकार उनसे अलग-अलग पत्रव्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहती;
- 8. प्रतिभृतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है जिसके कारण कंपनियों से पत्राचार नहीं करना पड़ता;
- 9. फोलियो/खातों के समेकन की सुविधाजनक पद्धति;
- 10. ईक्विटी, उधार लिखत और सरकारी प्रतिभृतियों में एक ही खाते में निवेश रखे जा सकते हैं;
- 11. विभाजन/समेकन/विलय के कारण मिलने वाले शेयर डीमैट खाते में स्वत: जमा हो जाते हैं।
 - अतः आपसे अनुरोध है कि :
 - क) डीमेट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपाजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) में संपर्क करें.
 - ख) अपने शेयरों के डीमैटीरियलाइजेशन के लिए डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरएफ) भरकर संबंधित शेयर प्रमाणपत्र अपने डीपी को सौंप दें। शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित होकर स्वत: आपके डीमैट खाते में जमा हो जाएंगे।

KIND ATTENTION OF SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM

The Shares held by you in physical form can be easily dematerialized i.e converted into electronic form. The various benefits derived out of dematerialization of shares are :-

- 1. Immediate transfer of securities;
- 2. No stamp duty on transfer of securities;
- 3. Elimination of risks associated with physical certificates such as bad delivery, fake securities, etc.;
- 4. Reduction in paperwork involved in transfer of securities;
- 5. Reduction in transaction cost;
- 6. Nomination facility;
- 7. Change in address recorded with DP gets registered electronically with all companies in which investor holds securities eliminating the need to correspond with each of them separately;
- 8. Transmission of securities is done by DP eliminating correspondence with companies;
- 9. Convenient method of consolidation of folios/accounts;
- 10. Holding investments in equity, debt instruments and Government securities in a single account;
- 11. Automatic credit into demat account, of shares, arising out of split/consolidation/ merger;

You are, therefore, requested to:

- a) Approach any Depository Participant (DP) of your choice for opening a Demat account.
- b) Fill in a Demat Request Form (DRF) and handover the relative shares certificate(s) to your DP for Dematerialisation of your shares.

Shares will get converted into electronic form and automatically credited to your Demat Account.